न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 280 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थीगण
1. बाकाराम पुत्र खीमाराम उम्र 22 वर्ष 2. वीरमाराम पुत्र खीमाराम उम्र 28 वर्ष 3. ममता पुत्री खीमाराम उम्र 20 वर्ष 4. तीजोदेवी पुत्री खीमाराम उम्र 25 वर्ष 5. अमीयोदेवी पत्नि खीमाराम उम्र 50 वर्ष 6. उदाराम पुत्र आसूराम उम्र 63 वर्ष 7. वसुदेवी पत्नि आसूराम उम्र 80 वर्ष जातियान राईका निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बाडमेर	1. गेपाराम पुत्र आसूराम उम्र 55 वर्ष 2. धनणीदेवी पत्नि दलाराम उम्र 50 वर्ष 3. रूपाराम पुत्र दलाराम उम्र 23 वर्ष 4. हीराराम पुत्र दलाराम उम्र 33 वर्ष जातियान राईका निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 3 सें 4 के वकील अनुपस्थित।
3. विप्रार्थी सं. 1 एकतरफा।
4. विप्रार्थी सं. 5 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 13.12.2023

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 47 रकबा 0.0566 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी तथा खसरा संख्या 48 रकबा 14.2384 हैक्टेयर किस्म बादोयम कुल रकबा 14.2950 हैक्टेयर मौजा डेरपाना पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में आया हुआ है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण सं[illegible] 5 प्रत्येक का 1/25, 1/25, 1/25, 1/25, 1/25 हिस्सा जो सं[illegible] तथा प्रार्थीगण संख्या 6 से 7 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 का [illegible] हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 प्रत्येक का 1/15, 1/15, 1/15 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा इ[illegible]रूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उ[illegible]सार अलग अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सो में माफिक प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज है। विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थीगण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:51 IST
Reason: SelfAttested

SDO सिणधरी

प्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेवों को लेकर झगडा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काप्त में लगातार दंखलन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेबो को तोड रहे है एवं प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को सडक मार्ग तक नहीं जाने देते वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थीगण अपने हिस्से व कब्जे काप्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते हैं किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेषकीमती व विषिष्ट भू–भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त खसरा में प्रार्थीगण के कब्जा काष्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि में विप्रार्थीगण विषिष्ट भूमि–भाग निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जे काप्त की भूमि में मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढे को तोड़कर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काप्त में हस्तक्षेप कर रहे है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक आने जाने नहीं दे रहे है तथा जगह जगह निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है जिनका वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काप्त कर रहे है परन्तु विप्रार्थीगण द्वारा सड़क किनारे विषिष्ट भू–भाग पर निर्माण आदि करने पर प्रयासरत है जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 47 रकबा 0.0566 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी तथा खसरा संख्या 48 रकबा 14.2384 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम कुल रकबा 14.2950 हैक्टेयर मौजा डेरपाना पटवार क्षेत्र मूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में प्रार्थीगण के कब्जे काष्त की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थीगण को बेंदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थीगण के हिस्ते पर काप्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] को नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। [illegible] सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी [illegible] एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा विप्रार्थी [illegible] करने हेतु प्र्याप्त सुअवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का [illegible]र समाप्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:51 IST
Reason: SelfAttested

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 47 रकबा 0.0566 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी तथा

SDO सिणधरी

खसरा संख्या 48 रकबा 14.2384 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम कुल रकबा 14.2950 हैक्टेयर मौजा डेरपाना पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में आया हुआ है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/25, 1/25, 1/25, 1/25, 1/25 हिस्सा जो संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 6 से 7 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 प्रत्येक का 1/15, 1/15, 1/15 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा इसी अनुरूप हिस्साकसी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सो में माफिक प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज है। विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेबों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काप्त में लगातार दंखलन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेबो को तोड रहे है एवं प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रहोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है। ऐसी सूरत में यदि विवादित भूमि जो सामलाती है के किसी पक्षकार द्वारा किसी विशिष्ट भू–भाग कर कब्जा किया अथवा करवाया जाता हो, जिससे कि पक्षकार के मध्य विवा का अनावश्यक कारणों को उत्पन्न करता हो, तो प्रथम द्रष्यता प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना रहती है तथा पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 01 से 03 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा डेरपाना पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 47 रकबा 0.0566 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी तथा खसरा संख्या 48 रकबा 14.2384 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम कुल रकबा 14.2950 हैक्टेयर के प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:51 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 13.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी